नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक **193110**

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 5106 दिनांक 16-12-2017

# सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र

( अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन )

नवीकरण संख्या **3729** पत्रावली संख्या 1–135507 दिनांक **2002-2003**

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ........ स्क्रीन मास्केनो कुक इन्टरटेनिंग एसोसिएशन, 201, द्वितीय तल प्राण्डियर अपार्टमेन्ट तृतीय डालीबाग, निकट गन्ना संस्थान लखनऊ- 226001 ........ को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ...... 1430 ...... दिनांक ...... 13-08-2002 को दिनांक

...... 13-08-2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

...... 1100 ...... रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक ........ **15-12-2017**

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

मु०रा०प्रा०(मुद्रण)–प्रपत्र 2 सोसा० फार्म एवं विवरण–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AD 276965

यह अलग स्टाम्प पेपर [illegible]
[illegible] 1355/07
जिला [illegible] फाईल सं० [illegible]
के सूची वर्ष 2018-19 के साथ संलग्न है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स [illegible] उत्तर प्रदेश लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

[illegible]

3-2026

2014

# स्कील वाल्कैनो यूथ इंटरटेनिंग एसोसिएशन

201 द्वितीय तल ग्राण्डियर अपार्टमेन्ट तृतीय डालीबाग,

निकट गन्ना संस्थान लखनऊ –226001

पत्रावली संख्या 1-135507

की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2018-2019

| क्र | नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्री जगमोहन रावत<br>पुत्र स्व० ऋषि पाल | 34/302 गंधार सहारा स्टेट<br>जानकीपुरम् लखनऊ | अध्यक्ष | कलाकार |
| २. | श्रीमती कुमकुम मोहन<br>पुत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा | 1/304 मल्हार डीलक्स सहारा ग्रेस<br>जानकीपुरम् लखनऊ–226017 | उपाध्यक्ष | समाज<br>सेविका |
| ३. | श्री चन्द्रशेखर शर्मा<br>पुत्र श्री आर० पी० शर्मा | 90/10 बी० तृतीय तल नवजीवन नगर<br>नई दिल्ली | सचिव | शिक्षक |
| ४. | कीर्ति निगम<br>पुत्री श्री कमल किशोर निगम | सी/ 444 गुजैनी रतन लाल नगर<br>कानपुर | प्रबन्धक | समाज<br>सेविका |
| ५. | श्री अनुज मिश्रा<br>पुत्र श्री ओम प्रकाश मिश्रा | 499/160 छोटा चाँदगंज लखनऊ | कोषाध्यक्ष | कलाकार |
| ६. | श्री मदन शर्मा<br>पुत्र श्री ऋषि पाल शर्मा | ऋषिकुल इन्टरनेशनल स्कूल मथुरा<br>बलदेव रोड गोकुल मथुरा | सदस्य | शिक्षक |
| ७. | शैली वर्मा<br>पत्नी श्री संदीप वर्मा | 594 घ /135 भवगन्त नगर<br>निलमथा बाजार कैन्ट<br>लखनऊ–226002 | सदस्य | ग्रहणी |
| ८. | श्री राजेन्द्र सिंह<br>पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह | ग्राम व पोस्ट पिपरसण्ड जिला<br>लखनऊ | सदस्य | समाज सेवा |

सत्यप्रतिलिपि:–

हस्ताक्षर :–

1

2

3

4

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

लखनऊ मण्डल, लखनऊ

13-04-18

लखनऊ मण्डल, लखनऊ

1/135507

पत्रावली का क्रम ________________

आलेख का क्रम ________________ वर्ष 2018-2019

आज दिनांक ________________

को पत्रावली की गयी 19-4-2018

निबन्धक सहायक

लखनऊ मण्डल, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AD 276966

यह जनरल स्टाम्प पेपर [illegible]
[illegible]
जिला लखनऊ फाइल नं० 135507
के [illegible] के साथ संलग्न है।

डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज [illegible] लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
13-04-13

क्रम संख्या ............ 839

स्टाम्प विक्रय की तिथि ............ 13/4/18

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ............ शपथ पत्र

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ............ [illegible]

स्टाम्प की धनराशि ............ 10/-

श्री सुधीर कुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं. 247, ... 31-3-2020

लाइसेंस की तिथि 31-3-2018

कार्यालय ... (2)

... 23 ...

# संशोधित स्मृति पत्र

१. संस्था का नाम : स्कील वाल्कैनो यूथ इंटरटेनिंग एसोसिएशन,

२. संस्था का पूरा पताः 201 द्वितीय तल ग्राण्डियर अपार्टमेन्ट तृतीय डालीबाग, निकट गन्ना संस्थान लखनऊ –226001

३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष।

४. संस्था के उद्देश्य :

१. युवा वर्ग के लिए इंटरटेनिंग प्रोग्राम, शो आर्गनाइज, बाल प्रतियोगितायें,युवा सांस्कृतिक, फैशन शो कार्यक्रम, रंगमंच, हास्य–व्यंग कार्यक्रम, गीत एवं डांस शो, खेलकूद प्रतियोगिता, अंताक्षरी/टॉकशो कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना तथा छिपी हुई प्रतिभाओं को उभार कर उनको एवं मंच देना।

२. जनजीवन को सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शरीरिक, शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु प्रयास कर स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना।

३. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े अल्पसंख्यक व निर्धन छात्र–छात्राओं के लिए कम्प्यूटर सापटवेयर, हार्डवेयर इंटरनेट आदि की निःशुल्क व्यवस्था कर उन्हे परीक्षा में शामिल होने हेतु समकक्ष योग्यता प्रदान करना।

४. विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, व्यायामशाला निःशुल्क चिकित्सालय, प्रयोगशाला आदि की स्थापना करना।

५. बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, चारित्रिक, शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास करना।

६. हरिजन, पिछड़े, दलित वर्गों निर्धन वर्ग युवाओं मलिहाओं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े पिछले अल्पसंख्यक व निर्धन छात्र–छात्राओं के लिए कम्प्यूटर की निःशुल्क हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण योजनाओं तथा कृषि आदि कार्यों का संचालन करना।

७. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक गरीब महिलाओं एवं बालक बालिकाओं तथा सामान्य के लिए सिलाई, कढ़ाई, चिकन, जरोजी, कढ़ाई बुनाई निःशुल्क दस्तकारी, टाइप शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर, पेन्टिंग फैश डिजाइनिंग रेडीमेड गारमेन्ट्स ब्यूटीपार्लर एवं अन्य सांस्कृतिक जैसे ढोलक, नाट्य विद्यालय, संगीत नृत्य एवं गायन–वादन इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर करना।

समाज कल्याण विभाग उ० प्र० केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, एच०एल०एफ०पी०पी०टी०, आबार्ड, नाबार्ड, सिडबी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिफ्सा, सेफ इण्डिया , सूडा, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं प्रचार प्रसार व संचालन करना।

समस्त कलाकार बंधुओं को स्वरोजगार के अन्तर्गत एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करना तथा उनका पूर्ण विवरण रखना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

१०. अभिनय, नृत्य, वाद्य यंत्रों आदि का निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा कलाकार बंधुओं को प्रमाण पत्र वितरित करना।

११. विभिन्न सांस्कृति शिक्षण संस्थानों संस्थाओं को सही मार्गदर्शन देना तथा उन्हें अपने साथ मिलाकर कार्य करने को प्रेरित करना।

१२. फिल्म, टेलीविजन एंव रंगमंच साहित्य समस्त बेरोजगार कलाकार बंधुओं को एक सूत्र में बांध कर रोजगार परक कार्य दिलवाने का प्रयास करना।

१३. देश की समस्त सांस्कृतिक धरोहर का दुरूपयोग रोकना एंव उनका पुर्नउद्धार करने का प्रयास करना।

१४. देश की सांस्कृतिक धरोहर का समाज में सुचारू रूप से प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना।

१५. देश के विभिन्न क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें एक मंच प्रदान कर दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करना।

१६. समय समय पर देश के विभिन्न विद्यालयों, कालेजों, सरकारी एंव गैर सरकारी संस्थाओं में देश की संस्कृति के प्रति युवाओं को पूर्ण ज्ञान देना एंव उनको प्रेरित करना कि किस प्रकार अपनी संस्कृति को संजोकर रखना चाहिए इसका प्रयास करना।

१७. भारत सरकार एवं राज्य के सांस्कृतिक मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना।

१८. देश की विभिन्न भाषाओं विभिन्न संस्कृति एंव वर्गों के कलाकारों के उत्थान हेतु नाटकों, नृत्य एवं संगीत कार्यक्रमों की व्यवस्था कर उन्हें प्रोत्साहित करना।

१९. संस्था द्वारा शहर एवं ग्रामीणों के कलाकारों द्वारा अश्लीलता से परे साफ सुथरे एवं सामाजिक व पारिवारिक नाटकों, टेलीफिल्मों एंव अन्य संगीत एंव नृत्य कार्यक्रमों द्वारा लोगों का मनोरंजन करना।

२०. क्षेत्र की सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन एंव पिछड़े तथा उत्पीड़ित महिलाओं के उत्थान एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन कर लोगों में जागरूकता पैदा करना।

२१. लेगों में शान्ती एकता एंव सद्भाव जागृत करने हेतु नुक्कड़ सभाओं एंव नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना ।

२२. समय समय पर सांस्कृति कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद, विचार गोष्ठी तथा संगीत नृत्य अभिनय एंव गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

२३. देश के किसी भी हिस्से प्रान्त वर्ग विशेष पर दैविक प्रकोप तथा आपात काल विपिदाओं में उनकी सहायता बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेना।

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार समाज कल्याण विभाग उ० प्र०, भारत सरकार समाज कल्याण बोर्ड केन्द्रीय कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नगर [illegible] श्रम मंत्रालय सीमैप, एन०बी०आर०आई सी०डी०आर०आई, सिचाई विभाग यूनीसेफ [illegible] मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जिला राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, सूडा, डूडा, स्वास्थ्य विभाग, राजीव गाँधी फाउण्डेशन, सिपसा, ग्राम्य विकास विभाग, जिला उद्योग केन्द्र महिला कल्याण एवं संस्कृति विभाग उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग आयोग, बागवानी बोर्ड, केन्द्रीय एवं राज्य पर्यटन विभाग, विद्युत विभाग, भूमि सुधार कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों को सरकार के सहयोग से करना एवं प्रचार प्रसार करना।

२५. पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यक्रम प्रदूषण नियंत्रण ऊसर बंजर भूमि सुधार जैविक कृषि व गंज़ो बागवानी विकास वैकल्पिक ऊर्जा पशु पक्षी

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

(जीव–जन्तु) संरक्षण गौ संरक्षण, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण भूमि एवं जल प्रबन्धन एवं जल संचयन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, दुग्ध विकास आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

२६. परिवार कल्याण कार्यक्रम, टाइफाइड, टीकाकरण पोलियो ड्राप एस०टी०डी० एड्स चिकनपॉक्स, कैंसर आदि जैसे भयंकर रोगों के निवारण मद्य निषेध सामाजिक कुरीतियों के निवारण एवं महिला उत्पीड़न निवारण हेतु शिविर कैम्पों के माध्यम से प्रचार प्रसार करना एवं मानव दे हके अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए प्रयास करना।

२७. संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों को एनिमेशन एवं मल्टी मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार व सहयोग देना।

२८. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/बालिका विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालयों कालेजों का संचालन करना जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था रखना तथा विधि विद्यालय एवं बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी० इंजीनियरिंग कालेज एवं अन्य प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा उर्दू, फारसी, अरबी, अल्पसंख्यक मदरसों की स्थापना शासन की अनुमति से कराना।

२९. समाज के शारीरिक विकलांग, मूक बधिर, नेत्रहीन, बेसहारा, मन्द बुद्धि बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करना।

३०. वस्त्र मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों हस्तकला, हथकरघा, चिकन कढ़ाई, आर्टिफिशियल ज्वैलरी इत्यादि कार्यों का सरकार के सहयोग से चलाना व निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

३१. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जन साधारण के कल्याण एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु सहायता प्राप्त करना एवं उन्हे संचालित करना।

३२. भारत सरकार , राज्य सरकार , गैर सरकारी संस्थाये, कार्पोरेट, आदि द्वारा चलाई जा रही चिकित्सा सम्बन्धी योजनायें जैसे चिकित्सालय चिकित्सा विद्यालय, सचल चिकित्सा वाहन, मोबाइल, मेडिकल यूनिट, एम्बुलेन्स, सेवाये आदि का उपर्युक्त विभागों द्वारा काम लेकर उनका प्रबन्धन एवं संचालन जनहित के लिये जन सामान्य तक पहुँचाना।

३३. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जो कि जन सामान्य के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये चलाई जा रही है उनका प्रबन्धन संचालन एवं प्रचार प्रसार करना।

३४. होर्डिंग,बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर, लीफलेट, कियोस, फ्लैक्स बोर्ड, विनायल आदि की छपाई कराकर तथा अन्य आई०ई०सी० सामग्री एवं डैमो वैन, एल०ई०डी० वैन, एल०ई०डी० होर्डिंग, वीडियो वैन, ई–रिक्शा, रिक्शा, परिवहन संसाधन आदि द्वारा जनहित हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना एवं प्रचार प्रसार करना

सत्यप्रतिलिपि
::हस्ताक्षर::

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक

I/35507

आवेदन का नाम श्री भोलानाथ स्वायत्तशासी - 38
आवेदक का नाम
प्राप्त दिनांक
को प्रदान की गयी 15-12-2017

निबंधक सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AD 276967

यह अतिरिक्त स्टाम्प पत्र [illegible]
[illegible]
जिला लखनऊ पंजीयन सं. 135507
संस्था नियमावली के [illegible] है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ [illegible] लखनऊ

[illegible]

क्रम संख्या ........ 838

स्टाम्प विक्रय की तिथि ..... 13/[illegible] ......

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ..... [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ..... [illegible]

.............................................

स्टाम्प की धनराशि ............ [illegible]

श्री [illegible] स्टाम्प विक्रेता 10/-

लाइसेंस नं. 247, 31-3-2020

लाइसेंस की तारीख 31-3-[illegible]

कार्यालय [illegible]

[illegible] 23 [illegible] न्यायालय

[illegible]

# संशोधित नियमावली

१. संस्था का नाम : स्कील वाल्कैनो यूथ इंटीरटेलिंग एसोसिएशन।

२. संस्था का पूरा पता : 201 द्वितीय तल ग्राण्डियर अपार्टमेन्ट तृतीय डालीबाग निकट गन्ना संस्थान लखनऊ–26001

३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष।

४. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग :

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 501/– रू. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे या संस्था के विकास हेतु 51/– रू. वार्षिक सदस्यता शुल्क देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य रहेगा।

५. सदस्यता की अर्हतायें : कोई भी सदस्य जो संस्था के कार्यक्षेत्र का मूल निवासी हो स्वस्थ चित्त एवं बालिग हो भारतीय नागरिक हो, न्यायालय द्वारा अपराधी दिवालिया पागल आदि घोषित न हुआ हो संस्था के कार्यकलापों पर आस्था रखता हो निर्धारित शुल्क देकर संस्था का सदस्य बन सकता है।

६. सदस्यता की समाप्ति : १. मृत्यु हो जाने पर ।
२. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
३. लगातार तीन हानिकारक कार्य करने पर ।
४. लगातार तीन बैठकों मे अनुपस्थित होने पर ।
५. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
६. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
७. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।

७. संस्था के अंग : अ.साधारण सभा
ब. प्रबन्धकारिणी समिति

८. साधारण सभा

गठन : साधारण सभा का गठन आजीवन, सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबंधक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

C.SHEKHAR

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यो, के बहुमत से तय किया जायेगा ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

१. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
२. संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
३. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
४. संस्था के नियमों एवं विनियमों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना ।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति</u> :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–एक, सचिव–एक, प्रबन्धक–एक, कोषाध्यक्ष–एक एव सदस्य–3 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 8 होगी जो आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है ।

बैठक : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

१. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना ।
२. किसी प्रकार के विवाद का निस्तारण करना।।
३. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयार करना ।
४. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विदेश के व्यक्तियों, विदेशी सरकारों राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायो, दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयों समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश केन्द्रीय एवं अन्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, सांस्कृति मंत्रालय,कपार्ट, अवार्ड,

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ
13.04.15

उद्यान विभाग, नाबार्ड, सिडबी, मानवसंसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ कपाकरा, सिफसा, सैक इण्डिया,नेहरू युवा कल्याण मण्डल, हैल्पेज इण्डिया ,वन विभाग, विकलांग विभाग/निदेशालय/आयोग/बोर्ड, भूमि सुधार निगम,स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण मंत्रालय, पशु विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय,विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर०सी०एच०, स्वास्थ्य मंत्रालय, समाज कल्याण, महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण बोर्ड,सांस्कृतिक विभाग, राजीव गाँधी फाउन्डेशन, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, हथकरघा मंत्रालय उ०प्र०, पर्यावरण विभाग, आक्सफेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष विश्व बैंक, सूडा,डूडा, बैंको, वित्तीय निगमो, राष्ट्रीय एवं वित्तीय संस्थाओं, तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग/कमीशन से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना

५. संस्था की उपसमितियों/शाखाओं का गठन करना और उन पर नियंत्रण रखना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा ।

६. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :**

अध्यक्ष

१. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
२. बैठकों के लिये दिनांको का अनुमोदन करना परिवर्तन करना व बैठकों को स्थगित करना।
३. बैठकों के लिये तिथि का निर्धारण करना।
४. संस्था मे वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन का कार्य करना।
५. कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा संचालन करना।
६. अन्तिम निर्णय देना तथा समिति पर नियंत्रण रखना।
७. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।
८. कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा कार्यक्रमों को संचालित करना व करवाना।
९. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यो को ही करना।
१०. समिति की चल अचल सम्पत्ति को क्रय एंव विक्रय करना तथा हस्तांतरित करना।
११. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
१२. स्वयं संस्था के हितार्थ कार्य करेगा तथा अन्य कार्यों में सहयोग करेगा।
१३. संस्था के उद्देश्यों को हर सम्भव आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना।
१४. संस्था के लिए ऋण, अनुदान, राजकीय सहायता एवं विदेशी सहायता प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

१५. बिल वाउचरों, आहरण पत्रों, संविदा पत्रों, ऋण पत्रों इत्यादि पर हस्ताक्षर करना।

१६. सदस्यों से दान चन्दा प्राप्त करना।

**उपाध्यक्ष** — अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके कार्यों को करना तथा संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

**सचिव**

१. संस्था के ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना

२. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।

३. बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर में अंकित करना।

**प्रबन्धक**

१. संस्था हित में कार्य करना।

२. बैठक में अनुशासन कायम रखना

**कोषाध्यक्ष**

१. कोषाध्यक्ष को संस्था के हित में मात्र 500/- रूपये खर्च करने का अधिकार होगा जिसकी संस्तुति बाद में प्रबन्ध समिति एवं प्रबन्धक और उपाध्यक्ष से लेनी होगी।

२. समस्त आय व्यय का वर्षवार लेखा–जोखा करके समस्त आलेख अध्यक्ष और प्रबन्धक के पास प्रस्तुत करना।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

: संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा

११. <u>संस्था का कोष</u> : संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/ प्राइवेट बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाते का संचालन किया जा सकेगा ।

१२. <u>संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :</u>

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा ।

१३. <u>संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही से संचालन का उत्तरदायित्व :</u>

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति पर होगा क्षेत्रीय न्यायालय में।

१४. <u>संस्था के अभिलेख</u> : सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक आदि

१५. <u>विघटन</u> : संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज् रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

(सत्य प्रतिलिपि)

: हस्ताक्षर :

Kirti Rajan   Anuj   Suyash   C. SHEKHAR

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

लखनऊ

I-135507

[illegible] का नाम [illegible]
आवेदक का नाम [illegible]
आज दिनांक
को [illegible] की गयी 15-12-2017

[illegible] अधिकारी
लखनऊ मण्डल, लखनऊ